रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27022025-261316 CG-DL-E-27022025-261316

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 138] No. 138] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 27, 2025/फाल्गुन 8, 1946 NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 27, 2025/PHALGUNA 8, 1946

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2025

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (धनीय शास्ति की वसूली की रीति) विनियम, 2025

(2025 का सं. 01)

फा. सं. सीसीआई/विनि.-व.वि./2024-25.—भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 36 और धारा 39 की उपधारा (1) के साथ पठित, धारा 64 की उपधारा (2) के खंड (छ) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धनीय शास्ति की वसूली की रीति विनिर्दिष्ट करने के लिए एतद्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: –

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।
 - (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (धनीय शास्ति की वसूली की रीति) विनियम, 2025 है।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं।
 - (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

1422 GI/2025 (1)

- (क) "अधिनियम" से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) अभिप्रेत है;
- (ख) "आयोग" से अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अभिप्रेत है;
- (ग) "मांग सूचना-पत्र" से आयोग द्वारा किसी ऐसे उद्यम को जारी कोई सूचना-पत्र अभिप्रेत है जिससे अधिनियम के अधीन कोई शास्ति वसूलनीय है;
- (घ) "उद्यम" से अधिनियम की धारा 2 के खंड (ज) में यथापरिभाषित उद्यम अभिप्रेत है;
- (ङ) "व्यतिक्रमी उद्यम" से कोई ऐसा उद्यम अभिप्रेत है जिसने अपने ऊपर सम्यक रूप से मांग सूचना-पत्र तामील किए जाने के बावजूद नियत समय के अंदर अपने ऊपर अधिरोपित शास्ति का संदाय नहीं किया है;
- (च) "आय-कर प्राधिकारी" से आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 116 में यथापरिभाषित कोई अधिकारी अभिप्रेत है;
- (छ) "विधिक वारिस" से नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2 की उपधारा (11) में यथापरिभाषित कोई विधिक प्रतिनिधि अभिप्रेत है;
- (ज) "शास्ति" से आयोग द्वारा अधिरोपित और अधिनियम के अधीन वसूली योग्य कोई धनीय शास्ति या जुर्माना या कोई अन्य राशि अभिप्रेत है;
- (झ) "शास्ति वसूली रजिस्टर" से इन विनियमों के संलग्न संलग्न प्ररूप IV में यथाअधिकथित रजिस्टर अभिप्रेत है जिसमें आयोग द्वारा अधिरोपित शास्तियों के सभी ब्यौरे अंतर्विष्ट है;
- (স) "व्यक्ति" से अधिनियम की धारा 2 के खंड (1) में यथापरिभाषित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (ट) "व्यतिक्रमी व्यक्ति" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपने ऊपर सम्यक रूप से मांग सूचना-पत्र तामील किए जाने के बावजूद नियत समय के अंदर अपने ऊपर अधिरोपित शास्ति का संदाय नहीं किया है;
- (ठ) "वसूली प्रमाणपत्र" से आयोग द्वारा जारी किया गया और उसके आदेशों के निबंधनों के अनुसार वसूली अधिकारी द्वारा निष्पादित किए जाने वाला प्रमाणपत्र अभिप्रेत है:
- (इ) "वसूली अधिकारी" से, यथास्थिति, उद्यम या व्यक्ति या 'व्यतिक्रमी उद्यम' या 'व्यतिक्रमी व्यक्ति' से शास्ति की वसूली के लिए आयोग द्वारा प्राधिकृत, इन विनियमों में यथापिभाषित कोई अधिकारी अभिप्रेत है;
- (ढ) "सचिव" से अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सचिव अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत आयोग द्वारा सचिव के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत उसका कोई अधिकारी भी है;
- (ण) "कर वसूली अधिकारी" से अधिनियम की धारा 39 के स्पष्टीकरण में यथानिर्दिष्ट और आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा के खंड (44) में परिभाषित कर वसूली अधिकारी अभिप्रेत है;
- (2) इन विनियमों में प्रयुक्त ऐसे शब्दों और पदों का, जो परिभाषित हैं, क्रमश: वही अर्थ होगा जो उनका यथास्थिति, अधिनियम या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) में है।

3. मांग सूचना-पत्र का जारी किया जाना।

- (1) जहां आयोग द्वारा किसी उद्यम या व्यक्ति पर कोई शास्ति अधिरोपित की गई है, वहां सचिव आयोग को ज्ञात उसके अंतिम पते पर, शास्ति अधिरोपित करने वाले आयोग द्वारा पारित किए गए आदेश की प्रति सहित, वसूली अधिकारी की प्रति के साथ इन विनियमों के संलग्न प्ररूप I में यथाअधिकथित मांग सूचना-पत्र जारी करेगा।
- (2) उपविनियम (1) के अधीन जारी किया गया मांग सूचना-पत्र संबद्ध उद्यम या व्यक्ति को उक्त मांग सूचना-पत्र में विनिर्दिष्ट रीति में शास्ति का निक्षेप करने के लिए आयोग के आदेश की प्राप्ति की तारीख से 60 (साठ) दिन से अनिधक का समय देगा।
- (3) मांग सूचना-पत्र की प्राप्ति पर, यथास्थिति, उद्यम या व्यक्ति इन विनियमों में संलग्न प्ररूप II में यथाअधिकथित चालान के माध्यम से वेतन और लेखा अधिकारी (पीएओ), कारपोरेट कार्य मंत्रालय, शीर्ष सं.

भारत का राजपत्र : असाधारण

1475.00.105.05, [उपशीर्ष – 00] – 'भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा अधिरोपित शांस्तियां' के पक्ष में शास्ति का संदाय करेगा।

- (4) यथास्थिति, उद्यम या व्यक्ति द्वारा चालान की एक प्रति तत्काल, परंतु संदाय के 07 (सात) दिन के अपश्चात्, वसूली अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी और वसूली अधिकारी शास्ति वसूली रजिस्टर में इस आशय की प्रविष्टि करेगा।
- (5) आयोग किसी भी समय मांग सूचना-पत्र में हुई किसी लिपिकीय या गणितीय भूल को सुधार सकेगा।

4. समय का विस्तार और किस्तों की मंजूरी।

- (1) मांग सूचना-पत्र में विनिर्दिष्ट संदाय की सम्यक तारीख के अवसान से पूर्व संबद्ध उद्यम या व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर, आयोग ऐसी शर्तों के अध्ययीन जिन्हें आयोग मामले की परिस्थितियों में अधिरोपित करना उचित समझे, संदाय के समय को विस्तारित कर सकेगा या किस्तों द्वारा संदाय को अनुज्ञात कर सकेगा।
- (2) उस दशा में जहां कोई विस्तारण मंजूर किया गया है और संबद्ध उद्यम या व्यक्ति इस प्रकार विस्तारित समय के भीतर संदाय करने में असफल रहता है वहां संबद्ध उद्यम या व्यक्ति को, यथास्थिति व्यतिक्रमी उद्यम या व्यतिक्रमी व्यक्ति समझा जाएगा।
- (3) उस दशा में जहां किस्तों का संदाय को अनुज्ञात किया गया है और संबद्ध उद्यम या व्यक्ति नियत समय के भीतर किसी ज्ञी एक किस्त के संदाय में व्यतिक्रम करता है, वहां संबद्ध उद्यम या व्यक्ति को तत्समय पूर्ण बकाया शास्ति के संबंध में, यथास्थिति, व्यतिक्रमी उद्यम या व्यतिक्रमी व्यक्ति समझा जाएगा और अन्य किस्त या किस्तों को भी उसी तारीख को देय हुआ समझा जाएगा जिसको किस्त के संदाय में वस्तुत: व्यतिक्रम हुआ था।

5. शास्ति पर ब्याज।

यदि किसी मांग सूचना-पत्र में विनिर्दिष्ट रकम का आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अविध के भीतर संदाय नहीं किया गया है, तो यथास्थिति, संबद्ध उद्यम या व्यक्ति, मांग सूचना-पत्र में वर्णित अविध के अवसान के ठीक पश्चात् वाले दिन से प्रारंभ होने वाली और उस दिन के साथ जिसको शास्ति का संदाय किया गया है, समाप्त होने वाली अविध में समाविष्ट प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय का दायी होगा:

परंतु आयोग संबद्ध उद्यम या व्यक्ति द्वारा संदेय ब्याज की रकम को घटा सकेगा या अधित्यक्त कर सकेगा यिद उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी रकम के संदाय में व्यतिक्रम ऐसी परिस्थितियों के कारण था जो यथास्थिति, संबद्ध उद्यम या व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर थी:

परंतु यह और कि जहां, यथास्थिति, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय या भारत के उच्च न्यायालय के किसी आदेश के परिणामस्वरूप, संदेय शास्ति की रकम को घटा दिया गया था, वहां ब्याज को तदनुसार घटा दिया जाएगा और अतिरिक्त संदत्त ब्याज का, यदि कोई हो, विनियम 14 के अनुसार प्रतिदाय किया जाएगा।

6. वसूली प्रमाणपत्र जारी करना।

- (1) जहां कोई उद्यम व्यतिक्रमी उद्यम है, या जहां उसे विनियम 4 के उपविनियम (2) और/या (3) के अनुसार व्यतिक्रमी उद्यम समझा जाता है, वहां आयोग इन विनियमों के साथ संलग्न प्ररूप III में यथाअधिकथित वसूली अधिकारी द्वारा निष्पापित किए जाने वाले वसूली प्रमाणपत्र को सचिव के माध्यम से जारी करेगा जिसमें वसूली की रीतियों के साथ शास्ति की रकम और उस पर ब्याज वर्णित होगा और शास्ति का निक्षेप करने के लिए 15 (पंद्रह) दिन का समय दिया जाएगा।
- (2) जहां कोई व्यक्ति व्यतिक्रमी व्यक्ति है, या जहां उसे विनियम 4 के उपविनियम (2) और/या (3) के अनुसार व्यतिक्रमी व्यक्ति समझा जाता है, वहां आयोग इन विनियमों के साथ संलग्न प्ररूप III में यथाअधिकथित वसूली अधिकारी द्वारा निष्पापित किए जाने वाले वसूली प्रमाणपत्र को सचिव के माध्यम से जारी करेगा जिसमें वसूली की रीतियों के साथ शास्ति की रकम और उस पर ब्याज वर्णित होगा और शास्ति का निक्षेप करने के लिए 15 (पंद्रह) दिन का समय दिया जाएगा।

(3) आयोग, किसी भी समय जारी किए गए वसूली प्रमाणपत्र में हुई किसी लिपिकीय या गणितीय भूल को ठीक कर सकेगा या ऐसे वसूली प्रमाणपत्र के अनुसरण में किए गए जाने वाले किसी संदाय के लिए समय का विस्तार कर सकेगा।

7. वसूली अधिकारी के कार्य।

- (1) आयोग इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर अपने किसी भी अधिकारी को इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में शास्तियों को वसूल करने के लिए वसूली अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।
- (2) वसूली अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि मांग सूचना-पत्र सम्यक रूप से, यथास्थिति, संबद्ध उद्यम या व्यक्ति पर तामील किया गया है। मांग सूचना-पत्र के तामील नहीं किए जाने की दशा में वसूली अधिकारी तुरंत सचिव को सुचित करेगा।
- (3) संबद्ध उद्यम या व्यक्ति द्वारा शांति का संदाय कर दिए जाने के पश्चात् वसूली अधिकारी सचिव को इसकी सूचना देगा। संबद्ध उद्यम या व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम की दशा में वह सचिव को संसूचित करेगा और उसके पश्चात्, यथास्थिति, ऐसे व्यतिक्रमी उद्यम या व्यक्ति को वसूली प्रमाणपत्र जारी करना सुनिश्चित करेगा।
- (4) वसूली अधिकारी, यथास्थिति, व्यतिक्रमी उद्यम या व्यतिक्रमी व्यक्ति के ऊपर अधिरोपित शास्ति की रकम को वसूल करने के लिए इन विनियमों में विनिर्दिष्ट रीति में वसूली प्रमाणपत्र निष्पादित करेगा।
- (5) वसूली प्रमाणपत्र नियत अवधि के समाप्ति के पश्चात् वसूली अधिकारी, इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार अधिरोपित शास्ति की वसूली के लिए कार्यवाही करेगा।
- 8. शास्ति वसूली रजिस्टर का रखा जाना।

वसूली अधिकारी इन विनियमों में संलग्न प्ररूप IV में यथाअधिकथित शास्ति वसूली रजिस्टर संधारित करेगा और नियमित रूप से शास्ति वसूली रजिस्टर का अद्यतन करेगा।

9. वसूली की रीतियां।

जहां व्यतिक्रमी उद्यम या व्यतिक्रमी उद्यम व्यक्ति वसूली प्रमाणपत्र में यथावर्णित नियत समय के भीतर शास्ति के संदाय में असफल रहता है, तो वसूली अधिकारी शास्ति को वसूल करने के लिए निम्नलिखित रीति में कार्यवाही करेगा.–

- (क) वसूली अधिकारी वसूली प्रमाणपत्र के जारी किए जाने के पश्चात् किसी भी समय किसी ऐसे व्यतिक्रमी उद्यम या व्यतिक्रमी उद्यम व्यक्ति, जिससे शास्ति देय है या देय हो सकेगी या किसी ऐसे अन्य उद्यम जो व्यतिक्रमी उद्यम के लिए या उसके लेखे धन रखता है या तत्पश्चात् रख सकेगा या व्यतिक्रमी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की दशा में व्यतिक्रमी व्यक्ति का विधिक वारिस से आयोग को तत्काल शास्ति के देय हो जाने पर या वसूली प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उतने धन के संदाय की अपेक्षा कर सकेगा जितना शास्ति के संबंध में, यथास्थिति, व्यतिक्रमी उद्यम या व्यतिक्रमी उद्यम व्यक्ति से देय शास्ति के संदाय के लिए पर्याप्त है। यदि ऐसा अन्य उद्यम या विधिक वारिस(वारिसगण) शास्ति के बदले में उक्त रकम के संदाय में असफल रहता है/रहते हैं तब ऐसे उद्यम के साथ भी उसी रीति में व्यवहार किया जाएगा जैसा यथास्थिति, व्यतिक्रमी उद्यम या व्यतिक्रमी उद्यम व्यक्ति के साथ किया जाता है:
- (ख) वसूली प्रमाणपत्र किसी भी ऐसे उद्यम को जारी किया जाएगा जो व्यतिक्रमी उद्यम के लिए या उसके लेखे किसी अन्य उद्यम के साथ संयुक्त रूप से कोई धन रखता है या तत्पश्चात् रख सकेगा और इस विनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे खाते में संयुक्त धारकों के अंशों को, जब तक इसके प्रतिकूल साबित नहीं हो जाता है, बराबर माना जाएगा;
- (ग) व्यतिक्रमी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की दशा में वसूली प्रमाणपत्र, व्यतिक्रमी व्यक्ति के विधिक वारिस को जारी किया जाएगा और इस विनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी रकम के लिए सभी विधिक वारिसों के अंशों को, जब तक 'इसके प्रतिकूल साबित नहीं हो जाता है', बराबर माना जाएगा;

परंतु यह कि इस विनियम के अधीन विधिक वारिस का दायित्व, उस सीमा तक सीमित होगा जहां मृतक की संपदा, ऐसे विधिक वारिस को प्रदत्त की गई है, जो दायित्व की पूर्ति करने में सक्षम है।

- (घ) प्रत्येक उद्यम या व्यक्ति जिसे वसूली प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, ऐसे प्रमाणपत्र का अनुपालन करने को आबद्ध होगा और, विशिष्टया, जहां ऐसी कोई सूचना किसी डाकघर, बैंकिंग कंपनी या किसी बीमाकर्ता को जारी की जाती है, तो किसी प्रतिकूल नियम, प्रथा या अपेक्षा के होते हुए भी, किसी प्रविष्टि, पृष्ठांकन या संदाय किए जाने के पूर्व वैसी ही चीजों के लिए किसी पास बुक, निक्षेप रसीद, पॉलिसी या किसी अन्य दस्तावेज को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी;
- (ङ) किसी ऐसी संपत्ति के विषय में, जिसके संबंध में वसूली प्रमाणपत्र जारी किया गया जाता है, मांग सूचना-पत्र की तारीख के पश्चात् उद्भूत होने वाला कोई दावा वसूली प्रमाणत्र में अंतर्विष्ट किसी मांग के विरुद्ध शून्य होगा;
- (च) जहां कोई ऐसा उद्यम या व्यक्ति जिसे वसूली प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, शपथ पर कथन द्वारा उस पर आक्षेप करता है कि मांगी गई राशि या उसका कोई भाग व्यतिक्रमी उद्यम या व्यतिक्रमी व्यक्ति पर देय नहीं या वह व्यतिक्रमी उद्यम या व्यतिक्रमी व्यक्ति के लिए उसके लेखे कोई धन नहीं रखता है, तब, यथास्थिति, इन विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि ऐसे उद्यम या व्यक्ति से, यथास्थिति, ऐसी किसी राशि या उसके भाग का संदाय अपेक्षित है:

परंतु यह कि उद्यम या व्यक्ति का ऐसा दावा आयोग के विचारार्थ उसके संज्ञान में लाया जाएगा;

- (छ) वसूली अधिकारी उस न्यायालय को, जिसकी अभिरक्षा में व्यतिक्रमी उद्यम या व्यतिक्रमी व्यक्ति का धन है, ऐसे उद्यम या व्यक्ति से देय शास्ति के उन्मोचन के लिए पर्याप्त रकम के संदाय के लिए आवेदन कर सकेगा;
- (ज) जहां किसी व्यतिक्रमी उद्यम या व्यतिक्रमी व्यक्ति के पास भारत से बाहर किसी देश (जो ऐसा देश है जिसके साथ भारत सरकार ने अधिनियम के अधीन और उस देश में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन शास्ति की वसूली के लिए करार किया है) में संपत्ति है, वहां आयोग उस देश में उस पर ऐसी कार्रवाई करने का प्रस्ताव करेगा जो आयोग, उस देश के साथ उक्त करार की शर्तों को ध्यान में रखते हुए, समुचित समझे और इस प्रकार वसूल की गई किसी राशि को आयोग को विप्रेषित करेगा और उसके पश्चात् सचिव उस रकम को इस प्रयोजन के लिए निश्चित खाते में जमा करने के लिए समुचित उपाय करेगा;
- (झ) जहां किसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान या अधिनियम के अधीन विनिश्चय के पश्चात् परंतु विनियम 3 के अधीन सूचना-पत्र को तामील किए जाने से पूर्व, कोई व्यतिक्रमी उद्यम या व्यतिक्रमी व्यक्ति किसी प्रभार का सृजन करता है या विक्रय, बंधक, दान, विनियम के क्षरा या अंतरण किसी भी अन्य रीति से अपनी किन्हीं आस्तियों को किसी अन्य व्यक्ति या उद्यम के पक्ष में अपने कब्जे से अलग करता है, वहां ऐसा प्रभार या अंतरण, उक्त काग्रवाही के विनिश्चय के परिणामस्वरूप या अन्यथा ऐसे व्यतिक्रमी उद्यम या व्यतिक्रमी व्यक्ति द्वारा संदेय किसी शास्ति के संबंध में किसी दावे के विरुद्ध शुन्य होगा:

परंतु यह कि ऐसा प्रभार या अंतरण शून्य नहीं होगा यदि उसे,-

- (i) पर्याप्त प्रतिफल के लिए और ऐसी कार्यवाही के लंबित होने की सूचना के बिना, या;
- (ii) आयोग की पूर्व अनुज्ञा से किया गया है।

10. वसूली की अन्य रीतियां।

जहां व्यतिक्रमी उद्यम या व्यतिक्रमी व्यक्ति वसूली प्रमाणपत्र में यथावर्णित नियत समय के भीतर शास्ति के संदाय में असफल रहता है, वहां वसूली अधिकारी, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की दूसरी अनुसूची में अधिकथित नियमों के अनुसार शास्ति की राशि को वसूल करने के लिए निम्न वर्णित रीतियों के माध्यम से भी साथ-साथ कार्यवाही कर सकेगा, अर्थात:—

- (a) संबद्ध उद्यम या व्यक्ति की जंगम संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा; और
- (b) संबद्ध उद्यम या व्यक्ति की स्थावर संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा।
- 11. आयोग द्वारा आय-कर प्राधिकारी को प्रतिनिर्देश।
 - (1) जहां आयोग की, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से यह राय है कि इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्ति को, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अनुसरण में, वसूल करना समीचीन होगा, तब वह, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन 'देय कर' के रूप में शास्ति की वसूली के

लिए इन विनियमों के संलग्न प्ररूप V में यथाअधिकथित अनुसार, संबंधित आय-कर प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिनिर्देश करेगा।

(2) जहां आय-कर प्राधिकारी, जिसको उपविनियम (1) के अधीन आयोग द्वारा प्रतिनिर्देश किया गया है, वसूली कार्यवाही संस्थित करता है, वहां आयोग द्वारा संस्थित की गई वसूली कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए आस्थिगत हो जाएगी।

12. आय-कर प्राधिकारी द्वारा वसूली की संसूचना।

- (1) जहां सचिव को कर वसूली अधिकारी से शास्ति की वसूली की संसूचना प्राप्त हो गई है, वहां वह सुनिश्चित करगा कि वसूली अधिकारी को तुरंत, परंतुत ऐसी सूचना प्राप्त हो जाने की तारीख से 05 (पांच) दिन के अपश्चात, शास्ति वसूली रजिस्टर में लेखबद्ध करे।
- (2) सचिव, कर वसूली अधिकारी से तीन मास में न्यूनतम एक बार कर वसूली अधिकारी को निर्दिष्ट मांगों की वसूली की प्रगति का पुनर्विलोकन और प्रगित रिपोर्ट अभिप्राप्त सकेगा और शास्ति की वसूली की प्रगित को हर माह आयोग के समक्ष रखेगा।
- 13. शास्ति की वसूली की कार्यवाहियों का अनुश्रवण और पर्यवेक्षण।

सचिव उन सभी मामलों को, जहां शास्ति की वसूली नहीं की गई है, प्रत्येक मामले में ही गई कार्रवाई के ब्यौरों, जिसकें अंतर्गत अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन दिए गए प्रतिनिर्देश भी हैं, के साथ आयोग के समक्ष कम से कम एक मास में एक बार रखेगा।

14. शास्ति आधिक्य का प्रतिदाय.

- (1) जहां, यथास्थिति, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय या भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी आदेश के परिणामस्वरूप, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उद्यम या व्यक्ति किसी शास्ति के संदाय के लिए दायी नहीं है या किसी आदेश या सूचना में उल्लिखित रकम से कम शास्ति के संदाय के लिए दायी है, वहां मांग सूचना-पत्र या वसूली प्रमाणपत्र को, यथास्थिति, वापस लिया जाएगा या परिवर्तित किया जाएगा और अधिक संदत्त की गई शास्ति की रकम का, यदि संदाय किया गया है तो प्रतिदाय किया जाएगा।
- (2) प्रतिदाय की दशा में, सचिव अपने हस्ताक्षर और मुद्रा के अधीन ऐसी रकम के लिए प्रतिदाय आदेश जारी करेगा।
- 15. कतिपय परिस्थितियों में प्रक्रिया अवधारित करने की शक्ति।

ऐसी स्थिति में, जिसका उपबंध इन विनियमों या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2024 में नहीं किया गया है, आयोग विनिर्दिष्ट मामलों में, यदि ऐसा अपेक्षित हो, प्रक्रिया अवधारित कर सकेगा।

16. कठिनाईयों को दूर करना।

इन विनियमों के क्रियान्वयन के मामले में यदि कोई शंका या कठिनाई उदभूत होती है, तो उस पर आयोग का विनिश्चय बाध्यकरी होगा।

17. निरसन और व्यावृत्तियां।

- (1) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (धनीय शास्ति की वसूली की रीति) विनियम, 2011, उस तारीख से निरस्त हो जाएंगे जिस तारीख को ये विनियम प्रवृत्त होंगे।
- (2) ऐसे निरसन में किसी बात के होते हुए भी, -
 - (क) ऐसे निरसन से पूर्व, निरसित किए गए विनियमों के अधीन, किया गया कुछ भी या की गई या किया जाना या की गई तात्पर्यित कोई कार्रवाई, या जारी की गई कोई सूचना या प्रमाणपत्र, आरंभ की गई कार्यवाहियां, इन विनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया या लिया गया समझा जाएगा;
 - (ख) निरसित विनियमों का प्रवर्तन या तदधीन सम्यक रूप से किया गया या भुक्त कुछ भी, तदधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व, या तदधीन घटित विधिक कार्यवाही या उपचार अप्रभावित रहेंगे मानो निरसित विनियम कभी निरसित ही न किए गए हों;

(ग) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (धनीय शास्ति की वसूली की रीति) विनियम, 2011 के निरसन के पश्चात्, आयोग द्वारा जारी उनके कोई प्रतिनिर्देश जिसके अंतर्गत कोई विनियम, निदेश या विनिश्चय भी है, इन विनियमों के तत्स्थानी उपबंधों का प्रतिनिर्देश होना समझा जाएगा ।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

UJALI	
77.7	

(विनियम 3 देखें)

मांग सूचना-पत्र [प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) के अधीन]

सेवा में,	<u> </u>
विषय: प्रतिस्पर्धा अधिनियम. 2002 (2003 का 12) की	। धारा के अधीन अधिरोपित शास्ति की वसूली के लिए मांग
सूचना-पत्र के संबंध में	
जहां भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (आयोग) ने	के
विषय में (मामला संख्या) अ	के गदेश तारीख द्वारा प्रतिस्पर्धा
अधिनियम. 2002 (2003 का 12) (अधिनियम) की धारा ((धाराओं) के अधीन (संबद्ध उद्यम/व्यक्ति का नाम)
जिसका कार्यालय/आवास	(पता) में है और स्थायी खाता संख्या ऊपररपये त अधिरोपित की है;
है, के	ऊपररपये
(रपये) की शास्ति	ा अधिरोपित की है;
अत:, आप से तदन्सार, चालान के माध्यम से, इस	सूचना की प्राप्ति की तारीख से दिन के भीतर,
रुपये (रुपये) की रार्षि	शे का निक्षेप अपेक्षित है। शास्ति का संदाय "वेतन और लेखा
अधिकारी – कारपोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली" के पध	क्ष में खाता शीर्ष 1475.00.105.05 [उपशीर्ष-00] 'भारतीय
प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा अधिरोपित शास्तियां' में किया जाए	,गा;
आपके द्वारा पूर्वोक्त अवधि के भीतर शास्ति की रकम अ	र्थात (रुपये
मात्र) का निक्षेप में असफल होने की दशा में. आप इस मां	ग सूचना-पत्र में वर्णित अवधि की समाप्ति के तुरंत पश्चात् की
	ते मांग का संदाय किया जाता है, समाप्त होने वाली अवधि में
समाविष्ट प्रत्येक माह या माह के भाग के लिए 1% की दर र	से साधारण ब्याज का संदाय करने के दायी होंगे।
आगे आयोग अपने आदेश (आदेशों) का अननपालन के ति	लेए कार्रवाई संस्थित करने के साथ ही इस प्रकार देय राशि की
वसूली के लिए आवश्यक कदम भी उठाएगा।]	15 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
्यान:	हस्ताक्षर:
तारीख:	नाम:
	पदनाम: सचिव
	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
	मदा

प्ररूप ॥

सिविल

रक्षा

रेलवे

डाकतार

रकम

₹.

पै.

कृपया बताएं

[(विनियम 3(4) देखें)]

बैंक/पीएओ/सीसीआई/निक्षेपकर्ता के लिए चार प्रतियों में भरा जाने वाला चालान

(मुख्य पृष्ठ)

मामला सं.

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर (ब्यौरों के साथ)

<u>जी.ए.आर. -7</u>

[(केन्द्रीय सरकार लेखा (प्राप्तियां और संदाय) नियम, 1983 का नियम 26(1) देखें)]

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा के अधीन अधिरोपित शास्ति (शास्तियां)

अधीन खजाना/उप-खजाना/भारतीय रिजर्व बैंक में								
प्रेषक द्वारा	भरा जाए				विभागीय अधिकारी य	या खजाने	द्वारा	भरा जाए
किसके द्वारा निविदत्त किया गया	उस उद्यम/व्यक्ति का नाम (पदनाम और पता जिसकी ओर से धन संदत्त किया गया)	प्रेषण और/या प्राधिकारी (यदि कोई हो) की पूर्ण विशिषिटयां	रकम		लेखा शीर्ष	लेखा अधिका जिसके समायो हो सक	द्वारा जन	बैंक को आदेश
नाम		भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली	₽.	थै.	शीर्ष 1475.00.105.05 [उपशीर्ष-00] 'भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा अधिरोपित शास्तियां'	वेतन अं लेखा अधिका कारपोरे कार्य मंत्रालय नई दिल	री – tट ा,	तारीख सही है: प्राप्त करो और रसीद अनुदत्त करो (धन संदत्त करने का आदेश देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर और पदनाम
हस्ताक्षर		योग*						
*(शब्दों में) रुपये			केवल खजाना अधिकारी के विभागीय अधिकारी के माध्यम से बैंक को प्रेषण की दशा में उपयोग करने के लिए					
प्राप्त संदाय (शब्दों में) रुपये					_			
कोषपाल लेखापाल		तारीख			ना अधिकारी कर्ता/प्रबंधक			

प्रेषक द्वारा भरी जाने वाली विशिष्टियां

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

<u>प्ररूप III</u>

(विनियम 6 देखें)

वसूली प्रमाणपत्र [प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) के अधीन]

सेवा में,						
						
प्रतिनिर्देश: मामला सं						
विषय: <u>प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12)</u> <u>वसूली प्रमाणपत्र - के संबंध में</u>	<u>) की धारा</u>	के अधीन	<u> अधिरो</u>	<u>पित शास्ति</u>	की वसूली	के लिए
जहां भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (आयोग) ने	ने				ह	के विषय
जहां भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (आयोग) ने में (मामला संख्या) आदेश		तारीख		_ द्वारा प्रवि	तेस्पर्धा अधि	धेनियम,
2002 (2003 का 12) (अधिनियम) की धारा (धारा	ाओं)	के अधीन	(संबद्ध	उद्यम/व्यत्ति	का नाम)	जिसका
कार्यालय/आवास	(पता)	में है	और	स्थायी	खाता	
कार्यालय/आवास	के (ऊपर				रुपये
जहां आयोग के उपर्युक्त आदेश के साथ जारी म	ांग सूचना-प [्]	त्र तारीख			_ में आपके	ो शास्ति
के निक्षेप के लिए, सूचना की प्राप्ति की तारीख से		्का समय दिया	गया था	ा; और		
जहां आपको मांग सूचना-प	।त्र के तामील	किए जाने के व	गाबजूद र	उसमें यथावि	निर्दिष्ट _	दिन
के भीतर उक्त शास्ति का संदाय करने						
उपर्युक्त समय के भीतर संदाय करने में आ	पकी असफल	ता पर आपको	एतद द्व	ारा व्यतिक्रम	नी उद्यम/ब्	यतिक्रमी
व्यक्ति समझा गया है;	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		2 1 ×		.,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
अत:, अब, यदि आप वसूली प्रमाणपत्र की प्रा	पिके 15 टि	में के भीतर भा	स्तिकी व	கா காய்ச	ाग करने में	शमास्त्र
जत., जब, बाद जान बहुता प्रमाणनम् ना प्रा रहते हैं तो आयोग शोध्य रकम की वसूली के लिए,						
विनियम, 2025 (विनियम) के विनियम 9 के अधीन						
जिसके अंतर्गत विनियम 10 के अधीन विनिर्दिष्ट निम्न						
(क) संबद्ध उद्यम या व्यक्ति की किसी जंगम संपत्ति						
(ख) संबद्ध उद्यम या व्यक्ति की किसी स्थावर संपर्ी	् त्ति की कुर्की ३	गौर विक्रय।				
स्थान:	हस्ता	क्षर:				
तारीख:						
		म:				
				••		
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ी अधिकारी)				
	मद्रा					

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

<u>प्ररूप IV</u>

(विनियम 8 देखें)

<u>शास्ति वसूली रजिस्टर</u> [प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) के अधीन]

क्रम	म			
211	\ı.	 	 	

सं.								
	सं.	सं						

क्र. सं.	प्रविष्टि का नाम	ब्यौरे
1	उद्यम/व्यक्ति का नाम और पता	
2	आयोग द्वारा आदेश की तारीख	
3	धारा जिसके अधीन आदेश पारित किया गया था	
4	शास्ति के ब्यौरे (रकम + ब्याज)	
5	क्या विनियम 4 के अधीन कोई समय विस्तारण मंजूर किया गया है। यदि हां – तो ब्यौरे	
6	क्या विनियम 4 के अधीन किस्तों में संदाय की अनुज्ञा दी गई है। यदि हां – तो ब्यौरे	
	क्या शास्ति के संदाय को किसी प्राधिकरण/न्यायालय द्वारा आस्थिगित किया गया है; यदि हां तो,	
7	(क) प्राधिकरण/न्यायालय का नाम	
	(ख) आदेश की तारीख	
	क्या किसी प्राधिकरण/न्यायालय द्वारा शास्ति कम/अधित्यक्त किया गया है; यदि हां तो,	
8	(क) प्राधिकरण/न्यायालय का नाम	
	(ख) आदेश की तारीख	
9	क्या आयोग ने शास्ति आदेश को उपांतरित किया है	
10	मांग सूचना-पत्र जारी किए जाने की तारीख	
11	वसूली प्रमाणपत्र जारी किए जाने की तारीख	
12	आय-कर प्राधिकारी को प्रतिनिर्देश की तारीख, यदि कोई हो	
13	क्या विनियम 9(ज) के उपबंध को लागू किया गया है, यदि हां तो उसके ब्यौरे	
14	आंशिक संदाय की तारीख, यदि कोई हो	
15	पूर्ण संदाय की तारीख	
16	बैंक द्वारा जमा की तारीख	
17	क्या सचिव द्वारा कोई प्रतिदाय आदेश जारी किया गया है; यदि हां तो आदेश की तारीख	
18	टिप्पणियां डियां, यदि कोई हों	

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

<u>प्ररूप V</u>

(विनियम 11 देखें)

<u>आय-कर प्राधिकारी को प्रतिनिर्देश</u> [प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) के अधीन]

<u>त्रानयम, 2002 (2003 का 12)</u> मामला सं. _____

सेवा में,			
कर वसूली अधिकारी			
विषय: <u>आय-कर अधिनियम, 1961 (196</u> 2002 की धारा_39(2) के अधीन प्रतिनिर्वे		कर के रूप में शास्ति	<u>की वसूली - प्रतिस्पर्धा अधिनियम,</u>
			ने निष्ण
जहां भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में (मामला संख्या	(आयाग) म	नारीख	क विषय टारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम
2002 (2003 का 12) (अधिनियम) की) आदर्ग धारा (धाराओं)	गाराज के अधीन (संब	ध्रारा प्रातासका जावासका, द्ध उद्यम/व्यक्ति का नाम) जिसका
कार्यालय/आवास	(पता)	 में है और	स्थायी खाता संख्या
	 _है, के	ऊपर	रुपये
(_रुपये) की शास्ति अधिर	ोपित की है; और	
जहां आयोग के उपर्युक्त आदेश शास्ति के निक्षेप के लिए, सूचना की प्राप्ति			में उद्यम/व्यक्ति को या गया था; और
जहां पूर्वोक्त वर्णित मांग सूचना-			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			रफल रहा है और अत: व्यतिक्रमी
उद्यम/व्यतिक्रमी व्यक्ति होना समझा गया			
जहां अधिनियम की धारा 39(2 (आय-कर अधिनियम) के अधीन 'देय कर' के लिए सशक्त है; और			धिनियम, 1961 (1961 का 43) य-कर प्राधिकारी, प्रतिनिर्देश करने
जहां अधिनियम की धारा 39(2 228क, धारा 229 और धारा 232 और अंतर्विष्ट उपबंधों को ऐसे ही लागू किया ज	् आय-कर अधिनियम व	ते दूसरी अनुसूची अ <u>ँ</u>	म की धारा 221 से धारा 227, र तदधीन बनाए गए नियमों में
जहां अधिनियम की धारा 39(2) 'देय कर' के रूप में अधिनियम के अधीन अ	9	, ,	कि आय-कर अधिनियम के अधीन ोगा;
आपसे एतद्वारा अपेक्षित है कि अ शास्ति वसूल करें और की गई वसूली के बा			को व्यतिक्रमी निर्धारिती' मानकर
स्थान:	हस्ताः	क्षर:	
तारीख:	नाम:		
	पदना	म: सचिव	
		भारतीय प्रतिस्पर्धा अ	ायोग
	मुद्रा		
	~		

[विज्ञापन-III/4/असा./999/**2024.25**]

इंदर पाल सिंह बिंदरा, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th Februaryry, 2025

The Competition Commission of India (Manner of Recovery of Monetary Penalty) Regulations, 2025

(No. 01 of 2025)

F. No. CCI/Reg.-R.R./2024-25.— In exercise of the powers conferred by clause (g) of the sub-section (2) of section 64 read with section 36 and sub-section (1) of section 39 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Competition Commission of India hereby makes the following regulations to specify the manner of recovery of monetary penalty, namely:—

1. Short title and commencement.

- (1) These regulations may be called the Competition Commission of India (Manner of Recovery of Monetary Penalty) Regulations, 2025.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—
 - (a) "Act" means the Competition Act, 2002 (12 of 2003);
 - (b) "Commission" means the Competition Commission of India established under sub-section (1) of section 7 of the Act;
 - (c) "demand notice" means a notice issued by the Commission to an enterprise or a person from whom any penalty is recoverable under the Act;
 - (d) "enterprise" means enterprise as defined in clause (h) of section 2 of the Act;
 - (e) "enterprise in default" means an enterprise which has not paid the penalty imposed on it within the stipulated time despite the demand notice duly served upon;
 - (f) "Income-tax authority" means an authority as defined in section 116 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);
 - (g) "legal heir" means a legal representative as defined in sub-section (11) to section 2 of the Code of Civil Procedure, 1908;
 - (h) "penalty" means a monetary penalty or fine or any other sum imposed by the Commission and realisable under the Act;
 - (i) "penalty recovery register" means the register as set out in Form IV appended to these regulations containing all the details of the penalties imposed by the Commission;
 - (j) "person" means a person as defined in clause (l) of section 2 of the Act;
 - (k) "person in default" means a person who has not paid the penalty imposed upon it within the stipulated time despite the demand notice duly served upon;
 - (1) "recovery certificate" means a certificate issued by the Commission and to be executed by the recovery officer in terms of the Commission's orders;
 - (m) "recovery officer" means an officer authorised by the Commission to recover the penalty from an enterprise or person or 'enterprise in default' or 'person in default', as the case may be, as defined under these regulations;
 - (n) "Secretary" means the Secretary appointed under sub-section (1) of section 17 of the Act and includes an officer of the Commission authorised by it to function as Secretary;
 - (o) "Tax Recovery Officer" means the Tax Recovery Officer as referred to in Explanation 2 to section 39 of the Act and defined in clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).

(2) Words and expressions used but not defined in these regulations shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act or in the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or in the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), as the case may be.

3. Issuance of demand notice.

- (1) Where a penalty has been imposed upon an enterprise or person by the Commission, the Secretary shall issue to it, a demand notice as set out in Form I appended to these regulations with a copy to the recovery officer, along with copy of the order passed by the Commission imposing the penalty, at its last address known to the Commission.
- (2) A demand notice issued under sub-regulation (1) shall provide a time period of not less than 60 (sixty) days from the date of receipt of order of the Commission to the enterprise or person concerned, to deposit the penalty in the manner specified in the said notice.
- (3) Upon receipt of the demand notice, the enterprise or the person, as the case may be, shall pay the penalty, through challan as set out in Form II appended to these regulations, in favour of the Pay & Accounts Officer (PAO), Ministry of Corporate Affairs, Head No. 1475.00.105.05, [Sub-Head 00] 'Penalties imposed by Competition Commission of India'.
- (4) One copy of the challan shall be submitted by the enterprise or the person, as the case may be, to the recovery officer immediately but not later than 07 (seven) days of the payment and the recovery officer shall make an entry in the penalty recovery register to the same effect.
- (5) The Commission may, at any time, rectify any clerical or arithmetical mistake made in the demand notice.

4. Extension of time and grant of instalments.

- (1) On an application made by the enterprise or the person concerned, before the expiry of the due date of the payment specified in the demand notice, the Commission may extend the time for payment or allow payment by instalments, subject to such conditions as the Commission may think fit to impose in the circumstances of the case.
- (2) In a case where an extension has been granted and the enterprise or the person concerned fails to make the payment within the time so extended, the enterprise or the person concerned shall be deemed to be an enterprise in default or a person in default, as the case may be.
- (3) In a case where payment by instalments has been allowed and the enterprise or the person concerned commits default in paying any one of the instalments within the time fixed, the enterprise or the person concerned shall be deemed to be enterprise in default or a person in default, as the case may be, as to the whole of the penalty then outstanding, and the other instalment or instalments shall also be deemed to have been due on the same date as the instalment actually in default.

5. Interest on penalty.

If the amount specified in the demand notice is not paid within the period specified in the said notice, the enterprise or the person concerned, as the case may be, shall be liable to pay simple interest at one per cent, on the amount outstanding, for every month or part of a month comprised in the period commencing from the day immediately after the expiry of the period mentioned in demand notice and ending with the day on which the penalty is paid:

Provided that the Commission may reduce or waive the amount of interest payable by the enterprise or the person concerned if it is satisfied that default in the payment of such amount was due to circumstances beyond the control of the enterprise or the person concerned, as the case may be:

Provided further that where as a result of an order of the National Company Law Appellate Tribunal or a High Court or the Supreme Court of India, as the case may be, the amount of penalty payable has been reduced, the interest shall be reduced accordingly and the excess interest paid, if any, shall be refunded in accordance with regulation 14.

6. Issuance of recovery certificate.

- (1) Where an enterprise is an enterprise in default or deemed to be an enterprise in default as per sub-regulation (2) and/ or (3) of regulation 4, the Commission shall issue recovery certificate through the Secretary to be executed by the recovery officer, as set out in Form III appended to these regulations, mentioning the amount of penalty and interest thereon along with modes of recovery therein, giving 15 (fifteen) days' time to deposit the penalty.
- (2) Where a person is a person in default or deemed to be a person in default as per sub-regulation (2) and/or (3) of regulation 4, the Commission shall issue recovery certificate through the Secretary to be executed

by the recovery officer, as set out in Form III appended to these regulations, mentioning the amount of penalty and interest thereon along with modes of recovery therein, giving 15 (fifteen) days' time to deposit the penalty.

(3) The Commission may, at any time, rectify any clerical or arithmetical mistake made in the recovery certificate issued or extend the time for making any payment in pursuance of such recovery certificate.

7. Functions of Recovery Officer.

- (1) The Commission may, from time to time, authorise any of its officers to function as the recovery officer for the purposes of these regulations, to recover the penalties in the manner specified under these regulations.
- (2) The recovery officer shall ensure that the demand notice is duly served on the enterprise or the person concerned, as the case may be. In the case of non-service of the demand notice, the recovery officer shall immediately inform the Secretary.
- (3) When the payment of penalty is made by the enterprise or the person concerned, the recovery officer shall bring it to the notice of the Secretary. In the case of default by the enterprise or the person concerned, the recovery officer shall intimate to the Secretary and ensure thereafter issuance of recovery certificate to such an enterprise in default or a person in default, as the case may be.
- (4) The recovery officer shall execute the recovery certificate to realise the amount of penalty imposed upon the enterprise in default or the person in default, as the case may be, in the manner specified in these regulations.
- (5) The recovery officer shall, after expiry of the period stipulated in the recovery certificate, proceed in accordance with the modes specified under these regulations for recovery of the penalty imposed.

8. Maintenance of Penalty Recovery Register.

The recovery officer shall maintain the penalty recovery register as set out in Form IV appended to these regulations and update the same regularly.

9. Modes of Recovery.

Where an enterprise in default or a person in default fails to pay the penalty within the stipulated time as mentioned in the recovery certificate, the recovery officer shall proceed to recover the penalty in the following manner,—

- (a) the recovery officer shall, at any time after expiry of the period stipulated in the recovery certificate, require the enterprise in default or the person in default, from whom the penalty is due or may become due, or any other enterprise who holds or may subsequently hold money for or on account of the enterprise in default, or the legal heirs of the person in default in case the person in default is deceased, to pay to the Commission either forthwith upon the penalty becoming due or within the time specified in the recovery certificate, so much of the money as is sufficient to pay the penalty due to the enterprise in default or the person in default, as the case may be. If such other enterprise or legal heir(s) fail to pay the said amount in lieu of the penalty, then such other enterprise or person shall also be treated in the same manner as an enterprise in default, or a person in default, as the case may be;
- (b) a recovery certificate may be issued to any enterprise who holds or may subsequently hold any money for or on account of the enterprise in default jointly with any other enterprise and for the purposes of this regulation, the shares of the joint holders in such account shall be presumed, until the contrary is proved, to be equal;
- (c) a recovery certificate may be issued to the legal heirs of the person in default in case the person in default is deceased and for the purposes of this regulation, the shares of all legal heirs for such amount shall be presumed, until the 'contrary is proved', to be equal;

Provided that the liability of a legal heir under this regulation shall be limited to the extent to which the estate of the deceased bestowed upon such legal heir, is capable of meeting the liability.

- (d) every enterprise or person to whom a recovery certificate is issued shall be bound to comply with such certificate, and, in particular, where any such notice is issued to a post office, banking company or an insurer, it shall not be necessary to produce any pass book, deposit receipt, policy, or any other document for the purpose of any entry, endorsement or the like being made before payment is made, notwithstanding any rule, practice or requirement to the contrary;
- (e) any claim respecting any property, in relation to which a recovery certificate has been issued, arising after the date of the demand notice, shall be void as against any demand contained in the recovery certificate;

(f) where an enterprise or a person to whom a recovery certificate has been issued objects to it by a statement on oath that the sum demanded or any part thereof is not due to the enterprise in default or the person in default, or that it does not hold any money for or on account of the enterprise in default or the person in default, then, nothing contained in these regulations shall be deemed to require such enterprise or person to pay any such sum or part thereof, as the case may be:

Provided that such assertion of the enterprise or the person is to be brought to the notice of the Commission for its consideration:

- (g) the recovery officer may apply, for payment of the amount sufficient to discharge the penalty due to enterprise in default or person in default, to the court in whose custody there is money belonging to such enterprise or person;
- (h) where an enterprise in default or person in default has property in a country outside India (being a country with which the Central Government has entered into an agreement for the recovery of penalty under the Act and the corresponding law in force in that country), the Commission may propose to that country to take such action thereon as the Commission may deem appropriate having regard to the terms of the said agreement with such country and to remit any sum so recovered to the Commission, and thereafter the Secretary shall take appropriate steps to deposit the same in the account earmarked for the purpose;
- (i) where during the pendency of any proceeding or after the decision under the Act but before the service of the notice under regulation 3, any enterprise in default or person in default creates a charge or parts with the possession by way of sale, mortgage, gift, exchange or any other mode of transfer whatsoever of any of its assets in favour of any other person or enterprise, such charge or transfer shall be void as against any claim in respect of any penalty payable by such enterprise in default or person in default as a result of the decision of the said proceeding or otherwise:

Provided that such charge or transfer shall not be void if it is made,-

- (iii) for adequate consideration and without notice of the pendency of such proceeding; or
- (iv) with the previous permission of the Commission.

10. Other modes of Recovery.

Where an enterprise in default or a person in default fails to pay the penalty within the stipulated time as mentioned in the recovery certificate, the recovery officer may also simultaneously proceed to recover the amount of penalty through the modes mentioned below, in accordance with the rules laid down in the Second Schedule of Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), namely:—

- (a) by attachment and sale of movable property of the enterprise or the person concerned; and
- (b) by attachment and sale of immovable property of the enterprise or the person concerned.

11. Reference by the Commission to the Income-tax authority.

- (1) Where the Commission is of the opinion, for reasons to be recorded in writing, that it would be expedient to recover the penalty imposed under the Act in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), it shall make reference under sub-section (2) of section 39 of the Act to the concerned Income-tax authority as set out in Form V appended to these regulations for recovery of the penalty as 'tax due' under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).
- (2) Where the income-tax authority to which a reference under sub-regulation (1) has been made by the Commission initiates recovery proceedings, the recovery proceedings initiated by the Commission shall stand *sine die* deferred.

12. Intimation of recovery by Income-tax authority.

- (1) Where an intimation of recovery of penalty has been received by the Secretary from the Tax Recovery Officer, he shall ensure that the recovery officer records it in the penalty recovery register immediately but not later than 05 (five) days from the date of having received such intimation.
- (2) The Secretary shall review and obtain a progress report, at least once in three months, from the Tax Recovery Officer, of the progress made in the recovery of demands referred to the Tax Recovery Officer and shall place the progress of recovery of penalty before the Commission every month.

13. Monitoring and supervision in proceedings of recovery of penalty.

The Secretary shall place before the Commission all the cases where the recovery of penalty has not been made, along with details of action taken in each case including the details of references made under sub-section (2) of section 39 of the Act, at least once in a month.

14. Refund of excess penalty.

- (1) Where by any order of the National Company Law Appellate Tribunal or a High Court or the Supreme Court of India, as the case may be, it has been held that an enterprise or a person is not liable to pay any penalty or is liable to pay a penalty less than the amount mentioned in any order or notice of the Commission, the demand notice or the recovery certificate shall be withdrawn or modified, as the case may be, and the amount of any excess penalty, if paid, shall be refunded.
- (2) In case of a refund, the Secretary shall issue a refund order for such amount, under his signature and seal.

15. Power to determine procedure in certain circumstances.

In a situation not provided for in these regulations or the Competition Commission of India (General) Regulations, 2024, the Commission may determine the procedure for specific matters, if so required.

16. Removal of difficulties.

In the matter of implementation of these regulations, if any doubt or difficulty arises, the decision of the Commission thereon shall be binding.

17. Repeal and Savings.

- (1) The Competition Commission of India (Manner of Recovery of Monetary Penalty) Regulations, 2011, stand repealed from the date on which these regulations come into force.
- (2) Notwithstanding such repeal,
 - (a) anything done or any action taken or purported to have been done or taken, or any notice or certificate issued or proceedings commenced, under the repealed regulations, prior to such repeal, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these regulations;
 - (b) the operation of the repealed regulations or anything duly done or suffered thereunder, any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred thereunder, or any legal proceeding or remedy ensued thereunder, shall remain unaffected as if the repealed regulations have never been repealed;
 - (c) after the repeal of the Competition Commission of India (Manner of Recovery of Monetary Penalty) Regulations, 2011, any reference thereto including in any regulations, direction or decision issued by the Commission, shall be deemed to be a reference to the corresponding provisions of these regulations.

FORM I

(See regulation 3)

DEMAND NOTICE

[Under The Competition Act, 2002 (12 of 2003)]

То	
Subject: Notice of demand for the recovery of 2003) – regarding.	f penalty imposed u/s of the Competition Act, 2002 (12 of
Whereas <i>vide</i> order datedi (Case No), the Competition CoRs (Rupees enterprise/ person), having its office/residence at	in the matter of
Therefore, you are accordingly a may be a made in favour of 'Page 19 and a made in favour of 'Page	required to deposit a sum of Rs (Rupees ys from the date of receipt of this notice, through Challan. The y and Accounts Officer – Ministry of Corporate Affairs, New Delhi' of 'Penalties imposed by Competition Commission of India';
Only) within the aforesaid period, you shall be lia	amount, <i>i.e.</i> (Rupees ble to pay simple interest @ 1% for every month or part of a month date immediately after the expiry of the period mentioned in this the demand is paid.
Further, the Commission shall also take actions for non-compliance of the order(s) of the C	necessary steps for recovery of the sum so due besides initiating commission.]
Place:	Signature:
Date:	Name:
	Designation: Secretary
	Competition Commission of India
	Seal

FORM II

[See regulation 3(4)]

Civil

Defence

Railway

Post and Telegraph

Treasury Officer Agent or

Manager

Please

indicate

Whether

Challan to be filled in quadruplicate for Bank/ PAO/ CCI/ Depositor

(OBVERSE)

Case No.

Competition Commission of India

Penalty(ies) imposed under section __ of the Competition Act, 2002

Accountant

G.A.R.-7

[See Rule 26(1) of Central Government Account (Receipts and Payments) Rules, 1983]

Challan of Money paid into Treasury/Sub-Treasury or State/Reserve Bank of India at							
To be filled by the ren	nitter			To be filled by the Treasury	e department	al Officer or the	
By address of to the thickness of the th	the the remittance and/ or	Amount		Head of Account	Account Officer by whom adjustable	Order to the Bank	
Name	Competition Commission of India, New Delhi	Rs.	P.	Head 1475.00.105.05 [Sub Head 00] - 'Penalties Imposed by Competition Commission of India'	Pay and Accounts Officer (PAO), Ministry of Corporate Affairs	Date Correct: Receive and grant receipt. (Signature and full designation of the officer ordering the money to be paid in)	
Signature	Total*						
*(in words) Rupees Received payment (in words) Rupees			To be used only in the case of remittances to the Bank through Departmental Officer of the Treasury Officer				

(REVERSE)

Treasurer

	Particulars to be filled by the remitter	Amou	Amount	
		Rs.	P.	
Cash				
Bank Draft/ Pay order (With details)				

Date

FORM III

(See regulation 6)

RECOVERY CERTIFICATE [Under The Competition Act, 2002 (12 of 2003)]

To	
Ref: Case No	
Subject: <u>Recovery Certificate for the recovery</u> (12 of 2003) – regarding.	y of penalty imposed u/s of the Competition Act, 2002
Whereas <i>vide</i> order dated	in the matter of (Case No.
	ndia (the Commission) has imposed a penalty of Rs.
	(Name of the concerned enterprise/ person),
having its office/ residence at	(address) and having
PAN number, under section(s) of the Com	npetition Act, 2002 (12 of 2003) (the Act); and
	, issued along with the above order of the Commission, had he date of receipt of the notice, to deposit the penalty; and
Whereas you have failed to pay the within days as speci	said penalty despite the demand notice being served upon you on fied therein.
Upon your failure to make payments w person in default;	vithin the aforesaid time, you are hereby deemed to be an enterprise/
Certificate, the Commission shall proceed to reunder regulation 9 of the Competition Commiss 2025 (the Regulations) including the following n	enalty amount within a period of 15 days of receipt of this Recovery cover the amount due by adopting all or any of the modes specified ion of India (Manner of Recovery of Monetary Penalty) Regulations, neasures specified under regulation 10 of the Regulations, namely:- of the enterprise or the person concerned; and/ or erty of the enterprise or the person concerned.
Place:	Signature:
Date:	Name:
	Designation:
	(Recovery Officer)
	Seal

FORM IV

(See regulation 8)

PENALTY RECOVERY REGISTER

[Under The Competition Act, 2002 (12 of 2003)]

Serial No		
	Case No.	

S. No.	Entry Name	Details
1	Name and address of the enterprise/person	
2	Date of the Order by the Commission	
3	Section under which such Order was passed	
4	Details of Penalty (Amount + Interest)	
5	Whether an extension of time has been granted under regulation 4. If so – details.	
6	Whether payment in instalments has been allowed under regulation 4. If so, details.	
7	Whether payment of penalty stayed by any authority/ court; if so, (a) name of the authority/court (b) date of the order	
8	Whether penalty reduced/waived stayed by any authority/court; if so, (a) name of the authority/court (b) date of the order	
9	Whether the Commission has modified the penalty order	
10	Date of issuance of demand notice	
11	Date of issuance of recovery certificate	
12	Date of reference to the Income-tax authority, if any	
13	Whether the provision of regulation 9(h), is attracted, if so, details thereof	
14	Date of the part payment, if any	
15	Date of full payment	
16	Date of credit by the bank	
17	Whether any refund order has been issued by the Secretary; If so, the date of the order	
18	Remarks, if any	

FORM V (See regulation 11)

REFERENCE TO THE INCOME-TAX AUTHORITY

[Under The Competition Act, 2002 (12 of 2003)] Case No. _____

To Tax Recovery Officer	
Subject: (Recovery of penalty as tax due un 39(2) of the Competition Act, 2002.	der the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) – Reference under section
Whereas <i>vide</i> order dated Competition Commission of India (the) upon	in the matter of (Case No), the Commission) has imposed a penalty of Rs (Rupees (Name of the concerned enterprise/ person) having its office/ (address) and having PAN number, under section(s) (the Act); and
	, issued along with the above order of the Commission, had days from the date of receipt of the notice, to deposit the
Whereas the afore-mentioned demand	d notice was served upon the enterprise/ person on;
Whereas the enterprise/ person has fa to be an enterprise/ a person in default; and	iled to pay the said penalty within stipulated time and therefore, deemed
	of section 39(2) of the Act, is empowered to make a reference to the of the penalty as 'tax due' under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)
	the Act, the provisions contained in sections 221 to 227, 228A, 229 and redule to Income-tax Act and any Rules made thereunder, are to apply as
Whereas the Commission, in terms of the penalty imposed under the Act as 'tax due'	of section 39(2), is of the opinion that it would be expedient to recover under the Income-tax Act;
• •	he penalty from the enterprise/ person treating the enterprise/ person as and inform the Commission about the recovery made.
Place:	Signature: Name: Designation: Secretary Competition Commission of India Seal
	[ADVTIII/4/Exty. 999/2024-25]
	INDER PAL SINGH BINDRA, Secy.